इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389]    भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2017—श्रावण 4, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2017

**क्रमांक एफ ए 3-44/2017/1/पांच (75) - राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, पुराने माल का क्रय विक्रय करने वाले तथा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम (5) के अधीन यथा अवधारित पुराने माल के बहिर्गामी प्रदाय के मूल्य पर राज्य कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, ऐसे प्रदायकर्ता से जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त पुराने माल के राज्य के अन्दर प्रदाय को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है।**

2. **यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अरूण परमार**, उपसचिव.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.